

हीरे की परख करनी हो तो अंधेरे का इंतजार करो, धूप में तो कांच भी चमकने लगते हैं।

TODAY WEATHER



DAY 32°
NIGHT 28°
Hi Low

संक्षेप

कोयला आवंटन केस में मनमोहन सिंह पर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आ गया? ट्रायल कोर्ट का आदेश निरस्त

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को औपचारिक रूप से बरी कर दिया। कोर्ट ने 2015 के उस ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें उन्हें आरोपी के तौर पर तलब किया गया था—जबकि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने दो बार व्लोज़र रिपोर्टें दाखिल की थीं और कहा कि उन पर मुकदमा चलाने का कोई ठोस कारण नहीं था। भारत के मुख्य न्यायाधीश सुर्दे कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी मोहना की बेंच का यह आदेश सिंह को मरणोपरांत कानूनी रूप से सही ठहराता है। सिंह का निधन दिसंबर 2024 में हुआ था, जबकि समन जारी करने के आदेश के खिलाफ उनकी अपील एक दशक से भी ज्यादा समय से सुप्रीम कोर्ट में लंबित थी। बुधवार का आदेश न केवल दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को खत्म करता है, बल्कि CBI के इस निष्कर्ष को भी स्पष्ट रूप से सही ठहराता है कि उन पर मुकदमा चलाने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं थे। इसके साथ ही, UPA के दौर में कोयला ब्लॉक आवंटन विवाद से जुड़े सबसे अहम आपराधिक मामलों में से एक का अंत हो गया है। बेंच ने यह माना कि सिंह के निधन के कारण अपील तकनीकी रूप से बेअसर हो गई थी, लेकिन फिर भी ट्रायल कोर्ट के फैसले की कानूनी वैधता की जांच करना जरूरी था, क्योंकि जांच एजेंसी के दो बार यह निष्कर्ष निकालने के बावजूद कि उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं बनता है, पूर्व प्रधानमंत्री को समन जारी किया गया था।

भाजपा सांसद ने केंद्र सरकार के सामने उठाया मणिपुर पुनर्वास का मुद्दा, कहा- पीड़ितों की वापसी जरूरी

नई दिल्ली, एजेंसी। मणिपुर की सांसद ए शारदा देवी ने बुधवार को केंद्र से राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत अलग-अलग प्रस्तावों को जल्द से मंजूरी देने का आग्रह किया, जिसमें आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों (आईडीपी) के कल्याण और पुनर्वास पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने संसद भवन में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी से मुलाकात की। इसके साथ ही मौजूदा सामाजिक-राजनीतिक स्थिति के बीच राज्य के विकास से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। राज्यसभा सांसद ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री से मणिपुर सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों और मांगों को मंजूरी देने में सुविधा प्रदान करने का अनुरोध किया है। मौजूदा संकट से प्रभावित समुदायों के लिए समय पर हस्तक्षेप और बेहतर समर्थन की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि चर्चाओं में विशेष रूप से आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों के कल्याण और पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित किया गया। राज्य भाजपा अध्यक्ष शारदा देवी ने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने उन्हें आशवासन दिया कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मणिपुर के लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करेगा और बैटक के दौरान उठाए गए अनुरोधों पर उचित विचार करेगा।

पेपर लीक बिल पर लोकसभा में राहुल गांधी का अमित शाह पर बड़ा आरोप, सदन में जमकर हंगामा, भाजपा बोली- सबूत दिखाओ... वरना मांगो माफी



नई दिल्ली, एजेंसी। लोकसभा में बुधवार को लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 यानी की पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान जोरदार हंगामा देखने को मिला। जहां सबसे ज्यादा हंगामा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान को लेकर देखने को मिला जहां

उन्होंने सरकार पर कई आरोप लगाए और छात्रों के हालिया प्रदर्शनों का मुद्दा भी उठाया।

राहुल गांधी ने कहा कि छात्र अपनी समस्याओं को लेकर सड़क पर उतरे थे और सरकार से नाराज थे। अपने भाषण के दौरान उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नाम लेते हुए आरोप

अखिलेश यादव ने उठाया सवाल

हंगामे के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि यदि नेता प्रतिपक्ष ने गंभीर आरोप लगाया है, तो सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि छात्रों पर हुई कथित फायरिंग का आदेश किसने दिया था। इस पर किरेन रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी ने सीधे गृह मंत्री पर आरोप लगाया है और बिना प्रमाण ऐसे बयान देना उचित नहीं है।

लगाया कि जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान फायरिंग और पैलेट गन चलाने की अनुमति गृह मंत्री की ओर से दी गई थी। इस बयान के बाद लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस शुरू हो गई।

स्पीकर ने दी चेतावनी

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राहुल गांधी को संबोधित करते हुए

कहा कि किसी व्यक्ति पर सीधे आरोप लगाने के बजाय जांच की मांग की जा सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि गृह मंत्री को लेकर कही गई कुछ टिप्पणियां सदन की कार्यवाही का हिस्सा नहीं बनेंगी। इससे पहले राहुल गांधी के भाषण में इस्तेमाल किए गए कुछ शब्दों पर भी विवाद हुआ था, जिन्हें बाद में लोकसभा की कार्यवाही से हटाने का निर्णय लिया गया।

गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर में विशेष पूजा- अर्चना की

आर्यावर्त क्रांति

गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बुधवार सुबह नाथ संप्रदाय की परंपराओं के अनुसार भगवान शिव का अवतार माने जाने वाले महायोगी गुरु गोरखनाथ की विशेष पूजा-अर्चना की। राज्य सरकार की ओर से जारी बयान के मुताबिक, आदित्यनाथ ने अपने गुरु महंत अवैद्यनाथ, दादागुरु महंत दिग्विजयनाथ, योगीराज बाबा गंभीरनाथ और नाथ परंपरा के सभी गुरुओं की भी विधिवत पूजा-अर्चना की। बयान के अनुसार, गोरक्षपीठाधीश्वर ने गुरु गोरखनाथ और नाथ संप्रदाय के सभी गुरुओं के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए जनकल्याण के लिए उनके



मार्गदर्शन के प्रति आभार जताया। गोरखनाथ मंदिर में गुरु पूर्णिमा की विशेष पूजा-अर्चना बुधवार तड़के शुरू हुई और सामूहिक आरती के साथ संपन्न हुई। आदित्यनाथ ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं भी दीं। मुख्यमंत्री ने

वैदिक मंत्रोच्चार के बीच सबसे पहले नाथ परंपरा के आदिगुरु भगवान गोरखनाथ के दरबार में नमन किया और फिर विशेष पूजा-अर्चना की। इसके बाद उन्होंने मंदिर परिसर में स्थित सभी देवी-देवताओं के मंदिरों में पूजा-अर्चना की। उन्होंने

योगीराज बाबा गंभीरनाथ, महंत दिग्विजयनाथ, महंत अवैद्यनाथ और अन्य दिवंगत गुरुओं की समाधियों पर भी पूजा-अर्चना कर उनका आशीर्वाद लिया। बयान के मुताबिक, पूजा-अर्चना संपन्न होने के बाद गुरु पूर्णिमा की पारंपरिक सामूहिक आरती की गई।

योग गुरु रामदेव का 'आज़ादी' नारों पर बड़ा बयान, बोले- देश संविधान से चलेगा

नई दिल्ली, एजेंसी। योग गुरु रामदेव ने बुधवार को कहा कि ब्राह्मणवाद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के खिलाफ 'आज़ादी' के नारों से चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि संविधान सभी समुदायों को समान अधिकार देता है। उत्तराखंड के हरिद्वार में पत्रकारों से बात करते हुए रामदेव ने कहा कि भले ही ब्राह्मणवाद या RSS के खिलाफ नारे लगाना गलत है, लेकिन संविधान सभी समूहों के लिए समान अधिकारों की गारंटी देता है। रामदेव ने कहा कि देश सड़कों से नहीं चलेगा। देश सिर्फ संघद से चलेगा। शिक्षा मंत्री कौन होगा, यह सड़कों पर तय नहीं होगा। देश के प्रधानमंत्री और संसद ही यह तय करेंगे। ब्राह्मणवाद और RSS को निशाना बनाने वाले 'आज़ादी' के नारों पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि



अगर प्रह्लाद जोशी ब्राह्मण समुदाय में पैदा हुए और RSS से राष्ट्रवाद सीखा, तो इससे किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। रामदेव ने आगे कहा कि देश का संविधान दलितों और शोषितों के साथ-साथ ब्राह्मणों को भी अधिकार देता है। इसलिए, ब्राह्मणवाद को बुरा-भला कहना असंवैधानिक है। शुद्धों को बुरा-भला कहना भी असंवैधानिक है।

उन्होंने जंतर-मंतर पर 'जेनरेशन Z' के विरोध प्रदर्शनों की भी आलोचना की और कहा कि इन प्रदर्शनों से भारत की बदनामी हुई। रामदेव ने कहा कि जेनरेशन Z जंतर-मंतर पर इकट्ठा हुई और भारत को बदनाम किया। गाली-गलौज हमारी संस्कृति या स्वभाव नहीं है। हमने हमेशा अपने बड़ों का सम्मान किया है।

'हम बहुत जल्द दोबारा सड़कों पर उतरेंगे' अभिजीत दीपके का बड़ा बयान, अब क्यों सरकार को चेतावनी दे रही सीजेपी?

नई दिल्ली, एजेंसी। कांकोरब जनता पार्टी ने एक बार फिर देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है। पार्टी का आरोप है कि केंद्र सरकार पेपर लीक विरोध प्रदर्शन में शामिल छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेने के अपने वादे से पीछे हट रही है। सीजेपी का कहना है कि सरकार इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणियों का सहारा ले रही है।

सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा कि अगर छात्रों का उत्पीड़न नहीं रुका और उनके खिलाफ दर्ज मामले वापस नहीं लिए गए, तो पार्टी जल्द ही फिर से सड़कों पर उतरेगी। उन्होंने कहा, '20 जुलाई को छात्रों ने पुलिस की लाठियों और खून-खराबा देखा। अगर सरकार इतने पर



भी नहीं चेती और युवाओं का उत्पीड़न जारी रहा, तो हम बहुत जल्द दोबारा सड़कों पर उतरेंगे।'

यह बयान ऐसे समय आया है, जब सुप्रीम कोर्ट ने पेपर लीक विरोध प्रदर्शन से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के

खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है। अदालत ने जिन प्रदर्शनकारियों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, उन्हें रिहा करने का भी आदेश दिया, जबकि पहले से दर्ज एफआईआर की जांच जारी रखने की अनुमति दी।

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

मुजफ्फरनगर/गाजियाबाद। श्रावण मास में होने वाली कांवड़ यात्रा के लिये खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग-अलग चरणों में यातायात पर सख्त पाबंदियां लागू की जाएंगी और कांवड़ियों की सुगम आवाजाही के लिए चार अगस्त से मुजफ्फरनगर जिले में दिल्ली-हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग और गंग नहर मार्ग पर गाड़ियों की आवाजाही पर पूरी तरह रोक रहेगी। इन पाबंदियों से दिल्ली, हरिद्वार, देहरादून और सहारनपुर के बीच यात्रा पर असर पड़ने की सम्भावना है और रास्ते बदले जाने की वजह से यात्रियों को लंबा सफर करना पड़ सकता है और बस तथा टैक्सि का किराया भी अधिक देना पड़ सकता है।



मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) संजय कुमार ने बुधवार को बताया कि 30 जुलाई से मुख्य रास्तों पर भारी गाड़ियों की आवाजाही पर रोक रहेगी जबकि चार अगस्त से जिले में दिल्ली-हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग और गंग नहर मार्ग पर सभी तरह के वाहनों की आवाजाही बंद

रहेगी। कुमार ने संवाददाताओं से कहा, यात्रा के दौरान कांवड़ियों की आवाजाही सुचारू रूप से हो, इसके लिए वाहनों को दूसरे रास्तों पर भेजा जाएगा। एसएसपी ने बताया कि मार्ग परिवर्तन योजना के तहत हरिद्वार और सहारनपुर से दिल्ली जाने वाले वाहनों

को देवबंद, पंचढ़ा, मीरापुर और मेरठ के मवाना से होते हुए दिल्ली तक भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि वापसी का यातायात भी इसी रास्ते से होगा। अधिकारियों ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने मार्ग परिवर्तन के तहत निर्धारित रास्तों पर बसें चलाने का प्रबंध किया है, हालांकि अतिरिक्त दूरी की वजह से यात्रियों को अधिक समय लग सकता है और किराया भी ज्यादा देना पड़ सकता है। कांवड़ यात्रा के तहत भगवान शिव के भक्त हरिद्वार तथा गंगा के अन्य तटों से पवित्र गंगा जल लाते हैं और उसे पैतल चलकर अपने गृहनगरों के शिव मंदिरों में चढ़ाते हैं। यह यात्रा 30 जुलाई से शुरू होकर 11 अगस्त को सम्पन्न होगी।

जयराम रमेश ने एनईपी को 'नागपुर शिक्षा नीति' कहा, बिना संसदीय चर्चा लागू करने का आरोप

नई दिल्ली, एजेंसी। सैनियर कांग्रेस नेता और सांसद जयराम रमेश ने 31 जनवरी, 2026 को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) 2020 की छठी सालगिरह पर केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने इसे नागपुर एजुकेशन पॉलिसी कहा और आरोप लगाया कि इसे बिना संसदीय चर्चा के लागू किया गया था। X पर एक पोस्ट में रमेश ने कहा कि आज मोदी सरकार द्वारा 29 जुलाई, 2020 को NEP (नई शिक्षा नीति) को अपनाए जाने की छठी सालगिरह है। NEP 2020 पर संसद में कभी चर्चा नहीं हुई और न ही इसे शिक्षा के केंद्रीय सलाहकार बोर्ड से मंजूरी मिली। उन्होंने सरकार पर NEP के तहत अहम रेगुलेटरी बांडीज और पहलों को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए कहा कि आज NEP

की नींव हिल गई है। NTA की साख पूरी तरह खत्म हो चुकी है। जो पूर्व मंत्री इसके सबसे बड़े प्रचारक थे और जिन्होंने राज्य सरकारों पर NEP लागू करने के लिए जबरदस्ती दबाव डाला था, उन्हें इस्तीफ़ा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। 'विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान' का मामला संसद की एक संयुक्त समिति के पास भेजा गया है, जो ठंडे बस्ते में पड़ी है; NDA सहयोगियों के विरोध के कारण पिछले तीन हफ्तों में कम से कम दो बार इसकी बैठकें रद्द करनी पड़ी हैं। रमेश ने मौजूदा पॉलिसी की तुलना पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय शुरू की गई 'नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन' से की और संसदीय सहमति तथा पॉलिसी के लंबे समय तक रहने वाले असर के महत्व पर जोर दिया।

आखिर कौन है यूपी में नकल संस्कृति का जनक

आज के दौर में जबकि पेपर लीक जैसी घटनाओं के संबंध में निर्णायक प्रक्रिया तय की जा रही हो तो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के नौजवानों के मन में यह प्रश्न भी है कि आखिर नकल संस्कृति की जड़ें कहाँ से शुरू हुईं और किस शासनकाल में पल्लवित पुष्पित होते हुए इतनी बड़ी बेल बन गईं। उत्तर प्रदेश की बात इसलिए भी प्रासंगिक है क्योंकि इस राज्य के अधिसंख्य युवा परीक्षाओं में अपना भविष्य देखते हैं और जब उनकी मेधा को उचित मंच नहीं मिल पाता तो वह हताशा में चले जाते हैं। प्रदेश के युवाओं का भविष्य परीक्षा कक्ष का माहौल और भर्ती बोर्ड की नीयत से तय होता है। बीते तीन दशकों में इस राज्य ने इस मोर्चे पर दो बिल्कुल विपरीत स्थितियां देखी हैं। एक समय समाजवादी पार्टी की सरकारों का दौर भी देखा जब नकल को लगभग संस्थागत छत्रछाया मिली हुई थी और भर्तियों में खुलेआम भाई-भतीजावाद चलता था। दूसरा दौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल का है, जब नकल माफिया की जड़ों पर देश का सबसे कठोर कानून बनाकर प्रहार किया गया। इन दोनों दौर की तुलनात्मक बात इसलिए कि यह उन लाखों युवाओं की संसों से जुड़ा सवाल है, जिनकी आने वाली ज़िंदगी एक परीक्षा के परिणाम पर टिकी होती है।

किसी भी सरकार का चरित्र उसके फैसलों से तय होता है। बात शुरू करने से पहले थोड़ा पीछे जाते हैं। 1992 से शुरू करते हैं जब उत्तर प्रदेश में नकल अन्धादेश लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य परीक्षाओं में नकल पर पूरी तरह अंकुश लगाना था। लेकिन जैसे ही मुलायम सिंह यादव की सरकार सत्ता में आई, इस कानून को व्यावहारिक रूप से निष्प्रभावी बना दिया गया। इसके साथ ही स्व-केंद्र यानी सेल्फ-सेंटर की नीति को बनाए रखा गया, जिसके तहत विद्यार्थी अपने ही स्कूल में परीक्षा दे सकते थे। यह नीति देखने में एक प्रशासनिक फैसला भर लगती है, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम बेहद घातक साबित हुए। इस नीति की आड़ में राज्यभर में एक समानांतर तंत्र खड़ा हो गया, जिसे बाद में लोग नकल माफिया के नाम से जानने लगे। इस ढील का सीधा असर परीक्षा परिणामों पर भी दिखा। वर्ष 2004 में इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम अचानक बेतहाशा ऊंचाई तक पहुंच गया, जो किसी भी सामान्य शैक्षणिक प्रगति के बजाय व्यवस्थागत ढील का ही परिणाम प्रतीत होता था। इसका सबसे दुखद पहलू यह रहा कि जो छात्र वर्षों मेहनत करके योग्यता के आधार पर आगे बढ़ना चाहते थे, वे इस भीड में कहीं पीछे छूट गए, जबकि माफिया तंत्र की जेबें भरती रही। शिक्षा की नींव में यह खोखलापन आने वाले वर्षों तक राज्य को नुकसान पहुंचाता रहा।

समाजवादी पार्टी की ही सत्ता जब अखिलेश यादव के नेतृत्व में बनी तो उम्मीद थी कि भर्तियों को लेकर कुछ सार्थक फैसले लिए जाएंगे लेकिन 2012 से 2017 के बीच, स्थिति में सुधार आने के बजाय समस्या और गहरी होती चली गई। इस दौर में प्रतियोगी परीक्षाओं की गरिमा को बार-बार आघात पहुंचा। राज्य का शायद ही कोई बड़ा भर्ती बोर्ड ऐसा बचा हो, जिस पर धंधली या पेपर लीक के आरोप न लगे हों। मेडिकल प्रवेश परीक्षा का प्रश्नपत्र ट्रेजरी से लीक होने की घटना ने लाखों अभ्यर्थियों के सपनों को झटका दिया और अंततः परीक्षा रद्द करनी पड़ी। इसी तरह प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित प्रशासनिक सेवा परीक्षा का पर्चा भी सोशल मीडिया के माध्यम से लीक हो गया, जिसके बाद भारी विरोध और हंगामे के बीच परीक्षा को रद्द करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। ग्राम विकास अधिकारी पद के लिए हो रही भर्ती प्रक्रिया में भी स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से रिश्तखोरों का भंडाफोड़ हुआ, जिसमें सत्ताधारी दल से जुड़े प्रभावशाली लोगों की संलिप्तता के दावे सामने आए। नकल और पेपर लीक उस दौर की एक व्यवस्थागत विशेषता के रूप में उभरकर सामने आए।

यहां एक और गौरतलब बात यह है कि प्रदेश में जहां तमाम सरकारी विभागों की भर्तियां उग्र लोक सेवा आयोग व अधीनस्थ सेवा आयोग के माध्यम से की जाती थीं, अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री आजम खान अपने सभी विभागों में सारी भर्तियां खुद करते थे। उनके विभागों में तब धर्म विशेष के लोगों को जमकर नौकरियां बांटी गई। भर्तियों में भाई-भतीजावाद सपा दौर की विशेष पहचान बना। उग्र लोक सेवा आयोग जैसी संस्था, जिसकी निष्पक्षता किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है, उस पर भी गंभीर सवाल उठे। एक विशेष जाति-वर्ग के अभ्यर्थियों के चयन में असंगत बहुलता को लेकर उच्च न्यायालय में जनहित याचिका तक दायर की गई, जिसमें चयन प्रक्रिया में भारी अस्तुत्यन के आंकड़े प्रस्तुत किए गए। ऐसे आरोपों ने मेधावी और अन्य वर्गों से आने वाले अभ्यर्थियों में गहरा आक्रोश पैदा किया, क्योंकि उन्हें लगने लगा कि योग्यता से ज़्यादा जाति और राजनीतिक निकटता ही चयन का आधार बन गई है। इसी कड़ी में मुलिस भर्ती को लेकर हुआ विवाद भी कम गंभीर नहीं था। हज़ारों सिपाहियों और पीएसी जवानों की भर्ती में बड़े पैमाने पर फर्जीबाड़े, राजनीतिक सिफारिशों और रिश्ततखोरों के प्रमाण मिलने के बाद सरकार को एक जांच समिति गठित करनी पड़ी, जिसकी रिपोर्ट में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं।

व्यंग्य

बहस से ज्यादा अपेक्षा टकराव



विचारधारा, नीति, कार्यक्रम, चुनाव घोषणापत्र आदि का आज क्या औचित्य रह गया है? अगर ये राजनीति के प्रेरक तत्व ना रहें, तो फिर पहलवानी के अखाड़े और संसद के बीच क्या फर्क रह जाएगा?

मानसून सत्र की शुरुआत के साथ संसद का नजारा कुछ बदला नजर आएगा। यह संभवतः पहला मौका है, जब बिना चुनाव हुए सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के संख्या बल में गुणात्मक बदलाव हुआ दिखेगा। बजट सत्र के बाद गुणमूल कांग्रेस और शिवसेना (उद्धव) बड़ी टूट-फूट हो चुकी है, जबकि एनसीपी (शरद पवार गुट) के रुख में बदलाव के संकेत मिले हैं। इससे बिना नया जनादेश आए ही सत्ताधारी एनडीए मजबूत हो गया है। इस हद तक कि अभी दो महीने पहले लोकसभा सीटों के परिसीमन के मकसद से लाया गया जो विधेयक गिर गया था, सत्ता पक्ष उसे फिर से लाने की तैयारी में दिखा है।

इसी तरह विवादास्पद विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक-2025 और गिरफ्तारी होने पर 30 दिन के अंदर मुख्यमंत्री/ मंत्री पद खत्म करने का प्रावधान करने वाले विधेयक को भी लाने की चर्चा थी (जिसका इरादा शायद टाल दिया है)। पिछले सत्र तक इन विधेयकों के पारित होने की संभावना बेहद कमजोर थी। अभी भी इनके लिए सरकार संख्या बल का पूरा इंतजाम नहीं कर पाई है, लेकिन कुछ और जोड़-तोड़ में कामयाब रही, तो इनके पारित होने की संभावना बन सकती है। मगर यही समस्या है। वह संभावना 2024 में आए जनदेतन की भावना के विपरीत होगी। मुद्दा है कि दांव-पेच से जनादेश की भावना को इस तरह धता बताने का चलन आम हो जाता है, तो फिर विचारधारा, नीति, कार्यक्रम, चुनाव घोषणापत्र आदि का क्या औचित्य रह जाएगा?

ये राजनीति के प्रेरक तत्व ना रहें, तो फिर पहलवानी के अखाड़े में होने वाली जोर-आजमाईश और संसदीय प्रक्रियाओं के बीच क्या फर्क रहेगा? क्या उसके बाद भी संसद को बहस के जरिए अधिकतम संभव सहमति निर्माण का मंच माना जा सकेगा? दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत में इन प्रश्नों के उत्तर लगातार नकारात्मक होते गए हैं। संसद शोर, हंगामे, वॉकआउट, बहिष्कार, और कई बार तो शारीरिक बल के जरिए झड़पों का स्थल बनती चली गई है। नतीजतन, अधिवेशनों से पहले गंभीर बहस से ज़्यादा अपेक्षा टकराव और तू तू-मैं- मैं की रहने लगी है। मानसून सत्र के पहले भी राजनीतिक क्षितिज पर यही माहौल हावी नजर आया है।

छात्रों और युवाओं को भरोसा बना

एस. सुनील
 प्रधानमंत्री मोदी ने शिक्षा और परीक्षा की प्रक्रिया में सुधार की जो पहल की है उस पर छात्रों की प्रतिक्रिया सोशल मीडिया के बाहर सार्वजनिक रूप से भी दिखने लगी है। उन्होंने जो नियम बनाने और विधायी कदम उठाने की पहल की है और युवाओं से सीधी अपील की है उसका असर यह हुआ है कि आंदोलन की नैतिक ताकत बने सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल समाप्त कर दी और इसके साथ ही आंदोलन की तीव्रता काफी कम हो गई। इसकी व्यापकता भी धीरे धीरे कम हो रही है। पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन की जिन तस्वीरों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि देश का युवा खास कर 'जेन जी' केंद्र की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो गया है वह देश की प्रतिनिधि तस्वीर नहीं है। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि उन तस्वीरों से देश की वास्तविकता नहीं जाहिर हो रही है। हालाँकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि पेपर लीक की घटना, जैसा कि प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा, 'जघन्य पाप' है। लेकिन आगे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और इसमें शामिल लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले इसके लिए प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता पर भी किसी को संदेह नहीं है। देश का युवा वर्ग और छात्रों का भी प्रधानमंत्री के साथ ऐसा सीधा जुड़ाव या संवाद है कि वे इस मामले में प्रधानमंत्री की गंभीरता को समझ रहे हैं। तभी गुरुवार, 23 जुलाई की रात को प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर सीधे युवाओं को 'फ्रेंड्स' कह कर संबोधित किया। अपने मोबाइल से वीडियो बना कर उन्होंने पोस्ट किया और अगले दिन यानी शुक्रवार की रात को बताया कि उस पर कितनी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। गुरुवार रात के प्रधानमंत्री के इंस्टाग्राम वीडियो ने रिकॉर्ड बनाया। करीब 35 करोड़ लोगों ने उसे देखा और पेपर लीक से लेकर परीक्षा में सुधार के अनेक सकारात्मक सुझाव दिए, जिनका जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने अगले वीडियो में किया। प्रधानमंत्री मोदी ने शिक्षा और परीक्षा की प्रक्रिया में सुधार की जो पहल की है उस पर छात्रों की प्रतिक्रिया सोशल मीडिया के बाहर सार्वजनिक रूप से भी दिखने लगी है। उन्होंने जो नियम बनाने और विधायी कदम उठाने की पहल की है और युवाओं से सीधी अपील की है उसका असर यह हुआ है कि आंदोलन की नैतिक ताकत बने सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल समाप्त कर दी और इसके साथ ही आंदोलन की तीव्रता काफी कम हो गई। इसकी व्यापकता भी धीरे धीरे कम हो रही है।

ब्लॉग

जल संकट का असंतुलित प्रबंधन: अस्तित्व पर मंडराता खतरा

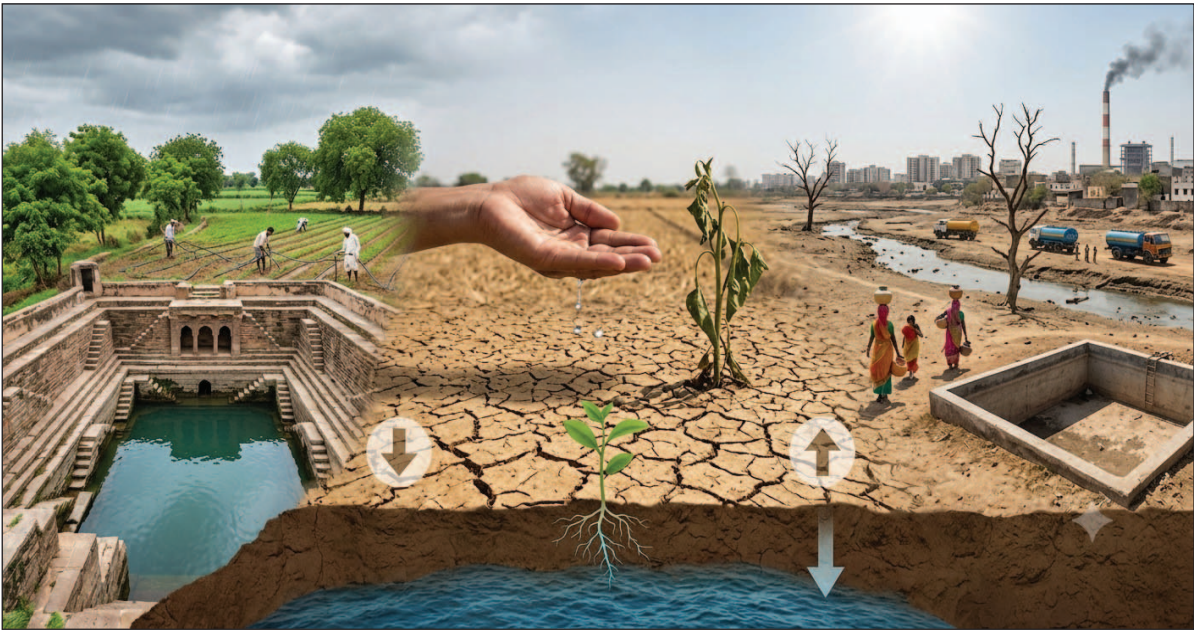
ललित गर्ग
 जल केवल प्रकृति का उपहार नहीं, बल्कि मानव सभ्यता के अस्तित्व का आधार है। पृथ्वी पर जीवन की कल्पना जल के बिना असंभव है, फिर भी विडंबना यह है कि जिस जल को हमारी संस्कृति ने देवत्व प्रदान किया, उसी जल के प्रति हमारा व्यवहार सबसे अधिक लापरवाह रहा है। आज देश और दुनिया की सबसे गंभीर चुनौतियों में जल संकट प्रमुख बन चुका है। बढ़ती आबादी, अनियोजित शहरीकरण, अंधाधुंध भूजल दोहन, जलवायु परिवर्तन और वर्षाजल के समुचित प्रबंधन के अभाव ने इस संकट को भयावह बना दिया है। यदि समय रहते चेतना नहीं जागी तो आने वाले वर्षों में पानी केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं, बल्कि सामाजिक तनाव, आर्थिक अस्थिरता और मानवीय संघर्ष का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। हाल के शोध इस संकट की गंभीरता को और स्पष्ट करते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) गांधीनगर के अध्ययन के अनुसार पिछले दो दशकों में उत्तर भारत का भूजल भंडार लगभग 450 घन किलोमीटर घट चुका है। यह मात्रा देश के सबसे बड़े जलाशयों में से एक इंदिरा सागर बांध की कुल जल संग्रहण क्षमता से लगभग 37 गुना अधिक है। यह आंकड़ा केवल वैज्ञानिक तथ्य नहीं, बल्कि भविष्य के संकट का स्पष्ट संकेत है। इसका अर्थ है कि जिस भूजल पर करोड़ों किसानों की खेती और करोड़ों लोगों का जीवन निर्भर है, वह तेजी से समाप्त हो रहा है। इस भयावह स्थिति के पीछे सबसे बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन है। वर्ष 1951 से 2021 के बीच मानसूनी वर्षा में लगभग 8.5 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। दूसरी ओर, उत्तर भारत में सर्दियों का तापमान भी बढ़ा है। तापमान में यह मामूली प्रतीत होने वाली वृद्धि भी मिट्टी की नमी को तेजी से कम करती है। परिणामस्वरूप खेतों को पहले की अपेक्षा अधिक सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। जब वर्षा कम होती है और सिंचाई की मांग बढ़ती है, तब किसान भूजल पर अधिक निर्भर हो जाते हैं। यही कारण है कि भूजल का पुनर्भरण कम और दोहन अधिक हो रहा है। आज भारत के अनेक क्षेत्रों में भूजल का स्तर हर वर्ष नीचे जा रहा है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और मध्य भारत के कई हिस्से इस संकट की चपेट में हैं। अनेक स्थानों पर सैकड़ों फीट गहराई तक बोरेवाल खोदने के बाद भी पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा। कई गांवों में हैंडपंप सूख चुके हैं और शहरों में टैंकर संस्कृति तेजी से बढ़ रही है। यह स्थिति बताती है कि यदि हमने अपनी जल नीति नहीं बदली तो आने वाले समय में पानी का संकट भोजन के संकट में भी बदल सकता है।

इसका कारण यह है कि देश के युवाओं को अपने प्रधानमंत्री और उनके संकल्पों पर भरोसा है। उनको विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी 2047 तक विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। इसके रास्ते में जो भी बाधाएं आएंगी उनको दूर किया जाएगा।

बहरहाल, पेपर लीक को लेकर भी प्रधानमंत्री की पहल पर एक साथ कई काम शुरू हो गए हैं। शुक्रवार को कैबिनेट की विशेष बैठक संसद भवन के अंदर हुई, जिसमें द पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रोवेशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, 2024 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। अब सरकार पेपर लीक और परीक्षा में अक्सर होने वाली दूसरी गड़बड़ियों को रोकने के लिए ज़्यादा सख्त कानून बनाने जा रही है। इसे मानसून सत्र के दूसरे हफ्ते के शुरू में ही पेश किया जा सकता है। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि इस पर जल्दी से जल्दी चर्चा करा कर कानून बनाया जाए। इसमें पेपर लीक के दोषियों के लिए 10 साल की सजा और 10 करोड़ रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। साथ ही यह भी प्रावधान किया गया है कि पेपर लीक की घटना की जांच दो महीने में होगी और तीन महीने के अंदर अदालत में दायल पूरा करके फैसला सुनाया जाएगा। इस संशोधन बिल को मंजूरी देने से पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने पेपर लीक से जुड़ी घटनाओं की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का आदेश दे दिया था। इस बिल में इस पूरी प्रक्रिया को वैधानिक स्वरूप देने का प्रावधान भी किया गया है।

इस मामले में सरकार की गंभीरता इस बात से दिखाई देती है कि मेडिकल में दाखिले के लिए नीट यूजी परीक्षा कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के 47 कर्मचारियों को बरखास्त कर दिया गया है। सरकार एनटीए का भी पुनर्गठन करने वाली है ताकि परीक्षा की प्रक्रिया को किसी भी तरह की लीक और गड़बड़ी से सुरक्षित किया जा सके। चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं इस पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं इसलिए युवाओं की और उनके अभिभावकों को भी भरोसा बना है। उनको लग रहा है कि सरकार परीक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। ध्यान रहे पहले ही इस बात की घोषणा हो चुकी है कि अगले साल नीट यूजी की परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी। इससे भी छात्रों और युवाओं को भरोसा बना है।

दूसरी ओर अगर विपक्षी पार्टियों का रवैया देखें तो वह बहुत निराशाजनक दिखेगा। उनकी तरफ से किसी तरह का रचनात्मक सुझाव सरकार के सामने नहीं प्रस्तुत किया जा रहा है। उनकी ओर से सिर्फ



भारत की कृषि व्यवस्था आज भी लगभग 80 प्रतिशत मोटे जल का उपयोग करती है। दुर्भाग्य से धान, गन्ना जैसी अधिक पानी वाली फसलें उन क्षेत्रों में भी उगाई जा रही हैं जहां जल संसाधन सीमित हैं। मृत्त बिजली और सस्ते पानी की नीतियों ने कई क्षेत्रों में अनियंत्रित भूजल दोहन को बढ़ावा दिया है। जल का मूल्य शून्य समझे जाने के कारण उसका संरक्षण भी नहीं हो पा रहा। आवश्यकता इस बात की है कि कृषि नीति को जल उपलब्धता के अनुरूप बनाया जाए। जिन क्षेत्रों में पानी कम है, वहां मोटे अनाज, दालें, तिलहन तथा कम पानी में तैयार होने वाली फसलों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जल संकट केवल खेती तक सीमित नहीं है। उद्योगों, महानगरों और बढ़ते शहरी विस्तार ने भी भूजल पर अत्यधिक दबाव डाला है। बड़े-बड़े भवनों, कॉलेजियों और औद्योगिक क्षेत्रों में वर्षाजल सिंधे नालों में बह जाता है। यदि प्रत्येक भवन में वर्षा जल संचयन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू हो जाए तो लाखों लीटर पानी हर वर्ष धरती के भीतर पहुंच सकता है। दुर्भाग्यवश अनेक राज्यों में कानून तो बने, लेकिन उनका प्रभावी पालन नहीं हो पाया।

जल संकट का एक और गंभीर पक्ष जल प्रदूषण है। देश की अधिकांश नदियां औद्योगिक अपशिष्ट, रासायनिक कचरे और सीवेज के कारण प्रदूषित हो चुकी हैं। जब नदियों और तालाबों का जल उपयोग योग्य नहीं रहता तो भूजल पर दबाव और बढ़ जाता है। इसलिए जल संरक्षण के साथ-साथ जल स्रोतों की स्वच्छता भी समान रूप से

आवश्यक है। नदी केवल जलधारा नहीं, बल्कि सम्पूर्ण पारिस्थितिकी की जीवनरेखा है। यदि नदियां स्वस्थ रहेंगी तो भूजल भी समृद्ध होगा। आज आवश्यकता केवल नई परियोजनाओं की नहीं, बल्कि जल संस्कृति के पुनर्जागरण की है। भारत में कभी तालाब, बावड़ियाँ, जोहड़, कुंड और पारंपरिक जल संरचनाएं गांवों की पहचान होती थीं। वे वर्षा के जल को रोककर भूजल को समृद्ध बनाती थीं। आधुनिक विकास की दौड़ में इन जल स्रोतों को या तो नष्ट कर दिया गया या अतिक्रमण का शिकार बना दिया गया। यदि इन पारंपरिक जल प्रणालियों का पुनर्जीवन किया जाए तो जल संकट को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है।

जल संरक्षण केवल सरकार का दायित्व नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। घरों में पानी की अनावश्यक बर्बादी रोकना, वर्षाजल संचयन अपनाना, रिसाव ठीक कराना, कम पानी वाले उपकरणों का उपयोग करना और बच्चों में जल संरक्षण के संस्कार विकसित करना अत्यंत आवश्यक है। यदि प्रत्येक परिवार प्रतिदिन कुछ लीटर पानी भी बचाए तो राष्ट्रीय स्तर पर करोड़ों लीटर जल की बचत संभव है। सरकार को भी जल प्रबंधन को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाना होगा। प्रत्येक जिले के लिए भूजल बजट तैयार किया जाए, भूजल दोहन पर वैज्ञानिक नियंत्रण हो, सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों-ड्रिप और स्प्रिंकलर-को व्यापक प्रोत्साहन मिले तथा ऐसे कृषि अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाए जो कम पानी में अधिक

शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही है। जिस समय जंतर मंतर पर प्रदर्शन शुरू हुआ उस समय लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष विदेश में थे। वहां से लौटने के बाद उन्होंने इंतजार किया कि संसद का सत्र शुरू हो और मीडिया का अटेंशन बने तो वे आंदोलन शुरू करें। छात्रों व युवाओं के संसद मार्च से जो माहौल बना उसका लाभ लेने के लिए वे अपनी पार्टी के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री आवास पर प्रदर्शन करने पहुंच गए। असल में उनको यह असुरक्षा बोध घरे हुए था कि कहीं जंतर मंतर के प्रदर्शनों को ज़्यादा लोगों का समर्थन न मिल जाए या उसमें शामिल लोग विपक्ष की जगह न ले लें। इसलिए उन्होंने आनन फानन में प्रदर्शन किया और संसद की कार्यवाही पूरी तरह से ठप की।

सवाल है कि क्या देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के पास पेपर लीक की घटना का विरोध करने का नैतिक आधार है? अकेले राजस्थान में 2018 से 2023 के कांग्रेस राज में 19 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए और कांग्रेस की सरकार ने किसी की भी जवाबदेही तय नहीं की। कांग्रेस शासित दूसरे राज्यों में भी अनेक परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। उसे रोकने या उसमें शामिल लोगों को सजा दिलाने में विफल रही कांग्रेस नीट यूजी के पेपर लीक के हवाले केंद्र सरकार पर हमलावर हो रही है। वास्तविकता यह है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड इस मामले में कांग्रेस की केंद्र और राज्यों की सरकारों के मुकाबले बहुत बेहतर है। कांग्रेस को ध्यान रखना चाहिए कि 2014 में एनडीए की सरकार बनने से पहले के सात साल में यूपीए के शासन में 71 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए थे। असल में मौजूदा सरकार पिछली सरकार से जो गड़बड़ियाँ विरासत में मिली हैं उसे ठीक करने का काम कर रही है। इस काम में सरकार का सहयोग करने की बजाय विपक्ष इसमें अड़णा लगा रहा है।

विपक्ष के साथ एक संकट यह भी है कि उसकी पार्टियों में आपस में ही तालमेल नहीं है। हर पार्टी अपने हिसाब से राजनीति करने में लगी है। आम आदमी पार्टी की चूँकि अगले साल के चुनाव में पंजाब और गोवा में कांग्रेस के खिलाफ लड़ना है इसलिए वह कांग्रेस की पोल खोल रही है। दूसरी विपक्षी पार्टियाँ चाहे वह समाजवादी पार्टी हो या शरद पवार की एनसीपी हो या उद्धव ठाकरे की शिव सेना, इनका सारा समय संतुलन बनाने में जा रहा है। ये कांग्रेस के साथ भी दिख रहे हैं और जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी के समर्थन से चल रहे आंदोलन में भी दिख रहे हैं। सवाल है कि ऐसा विपक्ष कैसे युवाओं में भरोसा पैदा कर पाएगा कि वह उनके हित में काम कर रहा है?



संक्षेप

तोड़कर अंदर फंसे बच्चों को बाहर निकाला और पुलिस व एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया।

पहले लेनी होगी पर्यावरण मंजूरी, फिर शुरू होगा प्रोजेक्ट का काम... ग्रीन क्लीयरेंस पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

नई दिल्ली, एजेंसी। विकास और पर्यावरण के संतुलन को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक अहम फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने कहा कि भविष्य में किसी भी नए प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले ही पर्यावरण मंजूरी लेनी होगी। काम शुरू होने के बाद मंजूरी नहीं मिलेगी। कोर्ट ने कहा कि यह फैसला केवल आगे से लागू होगा। पहले पर्यावरणीय मंजूरी पा चुकी परियोजनाएं इससे प्रभावित नहीं होंगी।

इसके साथ ही कोर्ट ने 2021 के सरकारी आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें केंद्र सरकार को परियोजनाओं को काम होने के बाद या प्रोजेक्ट की समाप्ति के बाद पर्यावरणीय मंजूरी देने का अधिकार दिया गया था। CJI सूर्यकांत की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच कुल 49 याचिकाओं पर अपना ये फैसला सुनाया है। ये याचिकाएं उन परियोजनाओं से जुड़ी थीं, जिन्होंने पर्यावरण के नियम तोड़े



थे और उन्हें बाद में मंजूरी दी गई थी। केंद्र सरकार के 2021 के आदेश के तहत कंपनियां बिना पर्यावरण मंजूरी के भी अपना प्रोजेक्ट शुरू कर सकती थीं और बाद में सरकार से मंजूरी ले लेती थीं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इस 2021 वाले आदेश को पूरी तरह खत्म कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के बाद माफी मांगने की यह

व्यवस्था गलत है। आगे से कोई भी कंपनी बिना पहले इजाजत लिए अपना काम शुरू नहीं कर पाएगी। जिन कंपनियों या प्रोजेक्ट्स को इस पुराने नियम के तहत पहले ही मंजूरी मिल चुकी है, वे सुरक्षित हैं और उनका काम चलता रहेगा। अदालत ने कहा कि उनके ऊपर इस फैसले का कोई असर नहीं पड़ेगा। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस

जांयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने यह फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में छह दिनों की सुनवाई के बाद 1 अप्रैल 2026 को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार असाधारण स्थिति में और लोगों के बड़े हित में नोटिफिकेशन जारी करके सीमित समय के लिए एक बार की राहत योजना ला सकती है। मगर यह व्यवस्था कार्यालय ज्ञापन के जरिए नहीं बनाई जा सकती और न ही इसे उल्लंघनों को नियमित करने के स्थायी माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। अदालत ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपने विशेष अधिकार (अनुच्छेद 142) का इस्तेमाल करके, अगर जरूरी समझे तो किसी परियोजना को काम के बाद पर्यावरण मंजूरी दे सकता है।



नई दिल्ली, एजेंसी। नीट पेपर लीक से जुड़े मामलों के लिए गठित स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। CBI ने कोर्ट को बताया कि 20 हजार पेज की चार्जशीट है। जिसमें आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, साक्ष्य नष्ट करना, भ्रष्टाचार और लोक परीक्षा अधिनियम के तहत अपराध की

धाराएं लगाई गई हैं।

सीबीआई के मुताबिक चार्जशीट में 360 गवाह, 422 दस्तावेज, 43 भौतिक साक्ष्य हैं। 12 मई 2026 को उच्च शिक्षा विभाग की शिकायत पर FIR दर्ज की गई थी। नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार सभी 13 आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। सीबीआई ने 8 साइबर विशेषज्ञ समेत 72 अधिकारियों की टीम बनाई थी और महाराष्ट्र, राजस्थान,

हरियाणा, दिल्ली समेत कई राज्यों में 92 ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान डिजिटल उपकरण और दस्तावेज जब्त कर फोरेंसिक जांच की गई। सीबीआई ने बताया कि फोरेंसिक, हैडराइटिंग और शैक्षणिक रिपोर्ट से लोक की पुष्टि हुई है।

कुल 13 लोगों को किया गिरफ्तार

सीबीआई के मुताबिक पहली गिरफ्तारी 13 मई 2026 को हुई थी। पेपर लीक मामले में कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें NTA के 3 सव्जेक्ट एक्सपर्ट भी शामिल हैं। इसके साथ ही बिचौलियों और कोचिंग से जुड़े 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। CBI ने बताया कि मनी ट्रेल की जांच चल रही है। कई बैंक खाते, लॉकर और एक

डीमैट खाता फ्रोज किया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट स्थित स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने CBI की चार्जशीट को रिकॉर्ड पर लिया है। कोर्ट ने सीबीआई को चार्जशीट के एनेक्सचर दाखिल करने के लिए तीन दिन का अतिरिक्त समय दिया है। कोर्ट ने नोट किया कि चार्जशीट में दस्तावेजों, बयानों और वस्तुओं की सूची संलग्न की गई है। कोर्ट ने CBI से पूछा कि चार्जशीट में जिन बयानों और अन्य दस्तावेजों का हवाला दिया गया है, वह कहाँ हैं। सीबीआई ने चार्जशीट के एनेक्सचर दस्तावेज को दाखिल करने के लिए समय मांगा। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि 20,000 पृष्ठों के एनेक्सचर दस्तावेज को स्कैन किया जा रहा है। राउज एवेन्यू कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी।

अब फुटबॉल मैदान में जलवा बिखेरेंगे टाइगर श्रॉफ, प्रोफेशनल डेब्यू की तैयारी में एक्टर; इरंड कप में आएंगे नजर!

एक्टर टाइगर श्रॉफ मुंबई एफसी की टीम में शामिल किया गया है और वह जल्द ही इरंड कप में अपना प्रोफेशनल फुटबॉल डेब्यू कर सकते हैं। मुंबई एफसी के को-ओनर जोहेब अमरानी के मुताबिक, टाइगर इस समय टीम के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं और शिलॉन्ग में होने वाले ग्रुप स्टेज मैच के लिए टीम के साथ सफर भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा, 'टाइगर टीम में रजिस्टर हो चुके हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ सही तरीके से हो। टाइगर जैसे बड़े स्टार के साथ सिक्कीमिटी का भी खास ध्यान रखना होगा, खासकर छोटे शहरों में जहां भीड़ ज्यादा हो सकती है।' उन्होंने आगे कहा, 'सोशल मीडिया आजकल बहुत तेजी से रिएक्ट करता है, इसलिए हमें हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है। हमने उनसे एक तरीका भी तय की है। अगर सब ठीक रहा, तो वह एक मैच के लिए जरूर टीम के साथ जाएंगे। फिलहाल वह टीम के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं।' जोहेब अमरानी ने बताया कि उन्होंने पहली बार 2023 में एक इंप्लुएंस्ड लीग के दौरान टाइगर का खेल देखा था, जहां रणवीर कपूर और महेंद्र सिंह धोनी भी शामिल थे।

मुंबई एफसी का इरंड कप शेड्यूल

मुंबई एफसी अपने सभी ग्रुप स्टेज मैच शिलॉन्ग के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेलेगी। टीम 3 अगस्त को लॉसनिंग एससी के खिलाफ अपने



अभियान की शुरुआत करेगी। इसके बाद 8 अगस्त को शिलॉन्ग लाजोंग और 11 अगस्त को नोंगकसेह एसएस एंड सीसी के खिलाफ मुकाबले

होंगे। अब फैस को बेसब्री से इंतजार है कि क्या टाइगर श्रॉफ मैदान में उतरकर अपने फुटबॉल स्किल्स से भी सबका दिल जीत पाएंगे या नहीं।

'मुझे लगा मेरा बेटा आ गया'; शबाना आजमी ने साझा किया 'बंटवारा' का किरस्सा; बोलीं- 'सनी देओल मेरे रक्षक बने'



फिल्म 'बंटवारा 1947' अगले महीने अगस्त में सिनेमाघरों में लगेगी। नाम से ही स्पष्ट है कि यह भारत-पाकिस्तान विभाजन पर बनी फिल्म है। ट्रेलर रिलीज हो चुका है। आज मंगलवार को आयोजित ट्रेलर लॉन्च इवेंट में फिल्म के निर्देशक राजकुमार संतोषी, एक्टर सनी देओल के अलावा अन्य कास्ट भी मौजूद रही। जावेद अख्तर और शबाना आजमी भी पहुंचे। शबाना आजमी ने फिल्म के एक मुश्किल सीन का जिक्र किया। शबाना आजमी ने फिल्म के एक सीन के बारे में चर्चा करते हुए सनी देओल की तारीफ की। उन्होंने कहा

कि यह सीन काफी मुश्किल था। जब सनी देओल आए तो उन्हें लगा कि उनका बेटा आ गया। अभिनेत्री की बात सुन सनी देओल भावुक हो गए। बता दें कि शबाना आजमी इस फिल्म में माई के रोल में हैं। फिल्म के एक सीन को अभिनेत्री ने 50 साल के करियर में सबसे मुश्किल सीन बताया। उन्होंने कहा, 'फिल्म में एक ऐसा सीन है जो बहुत ह्यूमिलिटेड है। उस सीन में विलेन मुझे खींचकर लेकर जाता है। मेरा कुर्ता फाड़ देता है। फिर, सनी देओल आकर मेरे ऊपर दुपट्टा

डालते हैं। उस वक्त मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरा बेटा आ गया। वे मेरे प्रोटेक्टर बने। मैंने उन्हें गले लगाया और ईश्वर का शुक्रिया कहा कि ये मेरे पाल हैं। इन्होंने मुझे बचाया। मैं बहुत बेवस थीं'।

सनी देओल ने कहा- 'मां पर थोड़ी भी आंच आई तो दुनिया भाड़ में जाए'

शबाना आजमी ने आगे कहा, 'एक कलाकार के तौर पर 50 साल के अनुभव के साथ इस सीन को मैंने बहुत सच्चाई के साथ महसूस किया। ऐसा मेरे को-

एक्टर की वजह से हुआ कि यह सीन फिल्म में बहुत शानदार लगेगा। मैं सनी देओल को थैंक्यू कहना चाहती हूं। इस दौरान सनी देओल भी इमोशनल हो गए। उन्होंने कहा, 'मैं जो भी फिल्म करता हूं, मैं कैरेक्टर में घुस जाता हूं। मैं उसी तरह से हर चीज में यकीन करता हूं। शबाना जी मेरी मां की भूमिका में हैं। मेरा जो किरदार है, कहता है। मां के ऊपर थोड़ी सी भी आंच आ जाए तो दुनिया भाड़ में जाए।' बता दें शबाना आजमी ने जिस सीन का जिक्र किया, उसकी झलक ट्रेलर में भी है।

कब रिलीज होगी फिल्म?

इसके अलावा शबाना आजमी ने देओल परिवार के साथ काम करने को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा, 'मेरी इससे पहले जो फिल्म पर्दे पर आई थी वो धरम जी के साथ थी, 'रंकी और रानी की प्रेम कहानी। अब यह फिल्म सनी देओल और करण के साथ है। मैंने अभय देओल के साथ भी काम किया है। अब बांबी से कहिए कि वे भी तैयार हो जाएं।' इस फिल्म में सनी देओल के अपोजिट प्रीति जिंटा हैं। आमिर खान ने फिल्म को प्रोड्यूस किया है। यह फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।



मंगलवार शाम नई दिल्ली के ताज पैलेस होटल में आयोजित फैशन डिजाइन काउंसिल ऑफ इंडिया कुट्योर वीक में दोनों डिजाइनर जयंती रेड्डी के शोस्टॉपर बने। अदिति राव हैदरी और सिद्धार्थ ने हाथों में हाथ डालकर रैंप वॉक किया और अपनी केमिस्ट्री से शो को खास बना दिया। उनका लुक ट्रेडिशनल और मॉडर्न स्टाइल का खूबसूरत कॉम्बिनेशन था, जो जयंती रेड्डी के कलेक्शन को पूरी तरह कॉम्प्लिमेंट कर रहा था।

अदिति ने गोल्ड और बेज रंग का खूबसूरत आउटफिट पहना, जिसमें पेपलम स्टाइल क्लाउज और शरारा स्कर्ट थी। इस पर बारीक जरदोजी, बीडवर्क और सीक्विन का काम किया गया था। उन्होंने चोकर सेट, स्ट्रेट हैयर और बोल्ट लिप्स के साथ अपना लुक पूरा किया। वहीं सिद्धार्थ ने बेज रंग की हैवी एम्ब्रॉयडरी वाली शेरवानी जैकेट पहनी, जिसे उन्होंने धोती स्टाइल ट्राउजर के साथ कैरी किया। उनके लुक को पर्ल और एमराल्ड की मल्टी-लेयर नेकलेस ने और खास बना दिया।

जयंती रेड्डी का कलेक्शन 'द गिल्डेड एस' हैदराबाद की संस्कृति और निजामी दौर की कला से प्रेरित था। इसमें ट्रेडिशनल फैब्रिक्स, फ्लोरल डिजाइन और हल्के रंगों का इस्तेमाल किया गया, जो भारतीय कारीगरी की खूबसूरती दिखाते हैं। शो के आखिर में अदिति, सिद्धार्थ और जयंती रेड्डी ने साथ में पोज दिया, जो इस इवेंट का सबसे यादगार पल बन गया।

